

//ई-निविदा सूचना //

एतद् द्वारा अधिकृत मान्यता प्राप्त सुधारकर्ताओं / फर्मों / ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि जलप्रदाय व्यवस्था के अर्न्तगत विभिन्न H.P.की सबमर्सीबल, मोनोब्लाक, ओपेनबेल (जलपरी), मोटर पम्प आदि का मरम्मत/ सुधार कार्य आगामी 01 वर्ष में करवाया जाना है। निविदा प्रपत्र दिनांक 25.05.2026 को ऑनलाईन के माध्यम से 17:30 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र बेवसाईड www.mptenders.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

क्र०	सामग्री / कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	मात्र	धरोहर राशि	निविदा पत्र का मूल्य	कार्य की समयावधि
01	विभिन्न H.P.के सबमर्सीबल मोटर पंप, मोनोब्लाक, ओपेनबेल (जलपरी) आदि का मरम्मत/सुधार कार्य 01 वर्ष हेतु।	20.50 लाख	वित्तीय वर्ष में आवश्यकता अनुसार	15,375/-	5000/-	वित्तीय वर्ष 2026-27

नियम एवं शर्तें :-

- कार्य की विस्तृत सूची एवं अन्य विवरण तथा जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय की भंडार शाखा में देखी व प्राप्त की जा सकती है।
- निविदाकार को **Envelope-A** में फर्म से संबंधित जीवित फर्म गुमास्ता रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी.न, पेन कार्ड, Organization Detail Annexure-H, राशि रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र Annexure-B, valid Electrical License (A-Class) , राशि रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर **नॉन ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट** आदि वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- EMD केवल E-FDR (ऑनलाईन) ही स्वीकार की जावेंगी | FDR CMO MANDIDEEP के पक्ष में देय होंगी।
- निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केबल बेवसाईट www.mptenders.gov.in पर ही देखा जा सकता है।
- दरें GST छोड़कर समस्त चुकता करो सहित देना होगा।
- निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति दिनांक से 120 दिनों तक रहेगी।
- निविदा के साथ संलग्न MANDATORY DOCUMENTS (सिर्फ ऑनलाईन) जमा करना अनिवार्य है।
- मोटर पम्प से निकने वाली खराब (अनुपयोगी) सामग्री पर प्राकल्लन राशि में 5% राशि बिल से कटोती की जाएगी जो कि ठेकेदार को मान्य एवं बंधककारी होगी।
- मोटर पम्प रिवाईडिंग एवं रिपेयरिंग कार्य मे लगने वाली सामग्री उच्च स्तर की मान्य की जावेगी। उच्च स्तर की न होने पर निकाय द्वारा वापस की जावेगी जिसका समस्त व्यय संबंधित निविदाकार को देना होगा ।
- सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय पर खराब मोटर पंप ले जाना होगा एवं सुधार उपरान्त कार्यालय की भंडार शाखा में जमा करना होगा।
- मोटर पंप आदि इंचार्ज उपयंत्रों की उपस्थिति में खोला एवं चैक किया जाना होगा, इंचार्ज उपयंत्रों के प्रमाणीकरण के पश्चात् की प्राक्कलन मान्य किये जावेंगे।

13. मोटर मरम्मत के प्रत्येक जाब पर 06 माह की गारन्टी अनिवार्य होगी
14. गारन्टी समयावधि के पूर्व ही यदि मोटर पंप में किसी भी प्रकार की कोई खराबी आ जाने से उसको Lowering and Lifting पर होने वाले व्यय को संबंधित ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा अथवा उसके देयक से राशि समायोजित की जावेगी ।
15. निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. देयको का भुगतान नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के अनुसार किया जावेगा।
17. निविदाकर्ता को आदेश प्राप्ती के 03 दिवस के अंदर कार्य करके देना होगा।
18. किसी भी तरह के वाद-विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय न.पा.प. मण्डीदीप का होगा।
19. न्यायलीन क्षेत्र गौहरगंज/रायसेन रहेंगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद मण्डीदीप
जिला-रायसेन (मध्य प्रदेश)